कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक / 11089 / स्था / अराज / एनएचएम / 2023 जबलपुर, दि. 20 / 12 / 2023

/ / विज्ञप्ति / /

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत मानव संसाधन को संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

स. क्र.	पद का नाम	ग्रेड पे बेडं	समकक्ष नियमित पद का सातवें वेतनमान का पे.मेट्रिक्स लेवल के अनुसार प्रगणित न्यूनतम पारिश्रमिक	कुल पद सुंख्या	रिक्त पदों की संख्या				
					अनारक्षित (UR)	ई.डब्ल्यू. एस. (EWS)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुसूचि ज जाति (SC)	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)
01	स्टाफ नर्स (महिला)	5200-20200+2800 (GP)	28700	01	01	0	0	0	0

शर्ते :–संविदा नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्ते :–

1- अवधि : यह नियुक्ति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों की स्थापना के अधीनस्थ संविदा नियुक्ति होगी।

2- अभ्यार्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली उत्तीर्ण की हो।

3- आयु सीमा –

- अनारक्षित वर्ग हेतु – न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक

4- कोई भी अभ्यार्थी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी 2 से अधिक संताने है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के या इसके पश्चात् हुआ है। नियुक्ति के समय शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

5- आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए एंव मूल निवासी का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

6.. जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो संलग्न करना अनिवार्य होाग।

7. संविदा कर्मचारी की संविदा की कालावधि अधिकतम 11 माह की होगी।

8. आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की स्वंय प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी को अपने आवेदन पत्र के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकेंगी।

N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

11. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज, जबलपुर किसी समय किसी भी स्तर पर आंषिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. **<u>नियुक्ति का तरीका :</u>** नियुक्ति चयन समिति कि अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी । चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। मेरिट दस्तावेजों की स्क्रूटनी के पष्चात योग्य मेरिट प्रत्याषियों की सूची नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज, जबलपुर की बेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। बेवसाईट को नियमित रूप से अवलोकन करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

13. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि.05/01/2024

आवेदन–पत्र दिनॉक 05/01/2024तक ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज'' के कार्यालय में सायं 5.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिये। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

(अधिष्ठाता कार्यालय के आवक शाखा में रखी ड्राप बाक्स में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के ऊपर ''पद का नाम'' अंकित करें।)

14. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवार की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। तथा जन्मतिथि भी समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरियता दी जावेगी, जिन्होने आवेदन किये पद हेतु न्यूनतम अर्हता 12th बॉयोलाजी में अधिक अंक प्राप्त किये है।

15. चयन हेतु किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत संपर्क या व्यक्तिगत दबाव डालने पर आवेदक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

16. आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चला हो अथवा विचाराधीन रहा हो अथवा पुलिस में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण न्यायालय में हुये निर्णय की जानकारी तथा शपथपत्र देना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर चयन उपरांत जानकारी प्राप्त होने पर संवदि नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

17. विकलांग उम्मीदवारों को आवेदिक पद के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य होगा।

Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

18. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश होने के तत्काल पश्चात् नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के साथ 500/–रू. के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉप पेपर में अनुबंध निष्पादित करना होगा, कि उक्त संविदा नियुक्ति के आधार पर शासकीय सेवा में नियमितीकरण का कोई हकदार नहीं होगा।

19. यात्रा भत्ता . किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

20. आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के प्रत्येक पद हेतु 500/– रु. का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो कि ''अधिष्ठाता ,नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर ''के नाम से देय हो, आवष्यक रूप से संलग्न करे। (मूल प्रति)

डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का पूरा नाम, फोन न., जरूर लिखें।

ड्राफ्ट साथ में संलग्न नही होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।

21. <u>निर्हताएं :–</u>

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुष्चरित्र होने पर।
- शारिरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास–अनुषंसा/किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्रात्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयासनर्हकारी माना जावेगा।
- विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु 18 वर्ष पुरूष/महिला वर्ग के लिये 21 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया गया हो। नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें।
- कूट रचित फेरबदल अभिलेख/झूठी जानकारी दिये जाने पर या फर्जी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ऐसे अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें।

22. आवेदक के चयन में किसी प्रकार के विवाद में न्यायालयीन क्षेत्र जबलपुर होगा।

23. किन्ही अपरिहार्य कारणों से उक्त विज्ञप्ति निरस्त करने के लिये अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी पूर्ण सक्षम है।

आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि की जानकारी एंव विस्तृत विवरण कॉलेज की वेवसाईड **<u>http://www.nscbmc.ac.in</u>** से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज
जबलपुर

Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)